/

न्यायालय सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) रेलमगरा जिला राजसमन्द

पीठासीन अधिकारीः– बिन्दुबाला राजावत, आर०ए०एस०

प्रकरण संख्याः– 151/2023 (वाद)
दायर दिनाकः– 12/10/2023
निर्णय दिनांकः– 30/03/2026

::अनवान::

1– आजाद हुसैन पुत्र इब्राहीम जाति मुसलमान निवासी रेलमगरा तहसील रेलमगरा
2– कुलसुम पुत्री इब्राहीम पिंजारा पत्नि मुश्ताक अहमद जाति मुसलमान निवासी रेलमगरा हाल निवासी भूपालसागर तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़
3– युसुफ मोहम्मद मंसूरी पुत्र इब्राहीम जाति मुसलमान निवासी रेलमगरा तहसील रेलमगरा
4– हलीमा बेगम पत्नि इब्राहीम पिंजारा जाति मुसलमान निवासी रेलमगरा तहसील रेलमगरा

वादीगण

बनाम

1– राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार रेलमगरा, जिला राजसमन्द

प्रतिवादी

वादपत्र अन्तर्गत धारा 88, 136, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

वादी अधिवक्ता– लादुलाल जाट
प्रतिवादी अधिवक्ता– पैरोकार सरकार

–: निर्णयः–

वादी द्वारा वाद अन्तर्गत धारा 88, 136, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के प्रस्तुत किया है कि मौजा ग्राम रेलमगरा, पटवार हल्का रेलमगरा की वर्तमान् जमाबंदी आराजी संख्या 5010/316, 5012/5001, 314, भूमि स्थित है। प्रमाण में नकल जमाबंदी की प्रतिलिपि साथ प्रस्तुत है। यह कि वादग्रस्त भूमियां वादीगण के पिता इब्राहीम जी के द्वारा क्रय तब जमाबन्दी में वादीगण के पिता का नाम इब्राहीम दर्ज हुआ। प्रमाण में संवत् 2021–2021 का सेटलमेन्ट का मिलान खसरा एंव फर्द इखतलाफ प्रस्तुत है। यह कि संवत् 2021–2021 से 2060–61 तक वादीगण के पिता का नाम इब्राहीम ही दर्ज चला आ रहा था संवत् 2061 की जमाबन्दी के बाद वादीगण के पिता का नाम पटवारी हल्का द्वारा इब्राहीम के बजाय गलत इब्राबहीम दर्ज हो गया जिससे वादग्रस्त भूमियां में निरन्तर वादीगण के पिता का नाम इब्राबहीम गलत रुप से दर्ज चला आ रहा था वादीगण के पिता की मृत्यु के बाद वादीगण के पिता का नाम गलत रुपेण इब्राबहीम दर्ज हो गया एंव वादी संख्या 2 पुत्री है लेकिन गलत रुपेण पुत्र दर्ज हो गया। यह कि वादीगण के सभी दस्तावेजो में पिता

सहायक कलक्टर
(उप खण्ड अधिकारी)
रेलमगरा

का नाम इब्राहीम अंकित है प्रमाण में वादीगण के आधार कार्ड की फोटो प्रति साथ संलग्न है। यह कि वादीगण के पिता का नाम इब्राहीम ही था पटवारी हल्का को वादीगण के का नाम इब्राहीम ही दर्ज करना चाहिये एंव वादी संख्या 02 पुत्री अंकित करना चाहिये था वादीगण के पिता का नाम इब्राहीम एंव वादी संख्या 02 पुत्री अंकित किये जाने का आदेश फरमाया जावे। यह कि वादीगण इसी विश्वास मे थे की वादीगण के पिता का नाम उनके आधार कार्ड के अनुसार ही जमाबन्दी में अंकन होगा लेकिन वादीगण के ई मित्र से नकल निकलवाई तब पता चला की पटवारी हल्का ने वादी के पिता का नाम इब्राहीम के बजाय इब्राबहीम गलत अंकित कर दिया जिससे वादीगण को अपनी जमाबन्दी में अपने पिता का नाम इब्राबहीम के बजाय इब्राहीम करना आवश्यक होने से वादीगण के द्वारा उक्त वाद पेश करना आवश्यक हो जाने से वादीगण द्वारा वाद अविलम्ब पेश है। यह कि वादीगण की ओर से उक्त वाद पत्र नाम की घोषणा, ईन्द्राज दुरुस्ती के लिये है घोषणा के लिये वादीगण का वाद विधि द्वारा किसी प्रकार से समयावधि से बाधित नही है एवं विशेष रूप से जहां फर्जी तरीके से अंकन हो जाने से वह अन्य विधि में भी वाद बाधित नही है। यह कि प्रतिवादी संख्या 01 राज्य सरकार भूमिधारक होने से एवं राज्य सरकार के प्रतिनिधि होने से एवं पटवारी हल्का द्वारा त्रुटिपूर्ण अंकन किया गया जिससे उनको पक्षकार बनाया गया है एवं अन्यथा राज्य सरकार के विरूद्ध कोई सहायता नही चाही गई है। यह कि वादीगण का वाद हेतु दिनांक 25.09.2023 को वादीगण को उक्त गलत अंकन का पता चला जब वादीगण ने ई मित्र से नकल निकलवाई तब से वादीगण का वाद हेतु उत्पन्न होकर निरन्तर जारी है। यह कि वादग्रस्त भूमिया ग्राम रेलमगरा पटवार हल्का रेलमगरा तहसील क्षेत्र रेलमगरा में स्थित होने से वादपत्र का श्रवणाधिकार व क्षेत्राधिकार न्यायालय आपको है।

अतः प्रार्थना कि वादपत्र की कलम संख्या 01 व 02 में वर्णित वादग्रस्त भूमियो मे वादीगण के पिता का नाम इब्राबहीम के बजाय इब्राहीम एंव वादी संख्या 02 पुत्र के बजाय पुत्री किये जाने की घोषणात्मक डिकी वादीगण के पक्ष में फरमाई जावे तदनुसार राजस्व अभिलेख में वादीगण के पिता का नाम इब्राबहीम के बजाय इब्राहीम एंव वादी संख्या 02 पुत्र के बजाय पुत्री किये जाने का अंकन फरमाया जावे। अन्य समुचित सहायता जो वादीगण प्राप्त करने की अधिकारिणी हो प्रदान कराई जावे।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर की गई। प्रतिवादी को नोटिस जारी किये गये। प्रतिवादी संख्या 01 द्वारा कोई जवाब प्रस्तुत नही कर वादी अपने वाद को स्वंय सिद्व करावे। अन्यथा उनके विरूद्ध कोई दाद नही चाही गई है।

वादीया ने अपने वादपत्र के समर्थन मे शपथ–पत्र प्रस्तुत किया। वादी द्वारा इसके अतिरिक्त और कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई, ग्राम पंचायत द्वारा भी वादी के पक्ष में प्रमाण पत्र भी जारी किया गया। जमाबंदी, नामान्तकरण, आधार कार्ड, मिलान खसरा, की नकल प्रस्तुत कि गयी।

सहायक कलक्टर
(उप खण्ड अधिकारी)
रेलमगरा

वादी अधिवक्ता की बहस सुनी गयी पत्रावली पर उपलब्ध के अनुसार वादी का वाद स्वीकार किया जाना उचित प्रतित होता है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर वादी द्वारा प्रस्तुत वाद अन्तर्गत धारा 88,136 R.T.A.का स्वीकार किया जाकर मौजा रेलमगरा, की वर्तमान आराजी संख्या 5010 / 316, 5012 / 5001, 314, भूमि वादीगण के पिता का नाम इब्राबहीम के बजाय इब्राहीम एंव वादी संख्या 02, पुत्र के बजाय पुत्री किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। तहसीलदार रेलमगरा पालना कर पालना रिपोर्ट अविलम्ब प्रस्तुत करे। इसी अनुसार डिक्री पर्चा कायम हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जावे।

निर्णय आज दिनांक 30.03.2026 सरे इजलास सुनाया गया।

(बिन्दुबाला राजावत)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी रेलमगरा
(राजसमंद)

संख्यांक नं0 1

मूल वाद में डिक्री (आदेश 20 नियम 6 व 7)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं (उपखण्ड अधिकारी) रेलमगरा जिला–राजसमंद

पीठासीन अधिकारी :– बिन्दुबाला राजावत आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या :– 151 / 2023

अनवान

वादीपक्ष :–

1– आजाद हुसैन पुत्र इब्राहीम जाति मुसलमान निवासी रेलमगरा तहसील रेलमगरा

2– कुलसुम पुत्री इब्राहीम पिंजारा पत्नि मुश्ताक अहमद जाति मुसलमान निवासी रेलमगरा हाल निवासी भूपालसागर तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़

3– युसुफ मोहम्मद मंसूरी पुत्र इब्राहीम जाति मुसलमान निवासी रेलमगरा तहसील रेलमगरा

4– हलीमा बेगम पत्नि इब्राहीम पिंजारा जाति मुसलमान निवासी रेलमगरा तहसील रेलमगरा

बनाम

प्रतिवादी पक्षः–

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार रेलमगरा, जिला राजसमन्द

<u>वादपत्र अन्तर्गत धारा 88, 136, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955</u>

वादी अधिवक्ता– लादुलाल जाट

प्रतिवादी अधिवक्ता– पैरोकार सरकार

ये इस आशय में **दिनांक 30.03.2026 के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिये पेश होने पर आदेश दिया जाता है कि** वादीगण का वाद अन्तर्गत धारा 88,136 का स्वीकार किया जाकर मौजा रेलमगरा, पटवार हल्का रेलमगरा के आराजी संख्या 5010 / 316, 5012 / 5001, 314, भूमि वादीगण के पिता का नाम इब्राबहीम के बजाय इब्राहीम एंव वादी संख्या 02, पुत्र के बजाय पुत्री किये जाने किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। तहसीलदार रेलमगरा पालना कर पालना रिपोर्ट अविलम्ब प्रस्तुत करे। हैं।

आज दिनांक को 30.03.2026 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की गोल मोहर लगाकर जारी की गई।

(बिन्दुबाला राजावत)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, रेलमगरा